

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1
संख्या-6/2018/121/78-1-2018-127/2012
लखनऊ: दिनांक:29 जनवरी,, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 568/78-1-2012-129/2012 दिनांक 10 मई 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति 2017 के बिन्दु 3.4.3 में निहित व्यवस्था के अनुपालन में एक सशक्त समिति का गठन किया गया था।

2- आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 को अवक्रमित करती है।

3- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के बिन्दु-9 में उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति की प्रगति पर निगाह रखने और सूचना प्रौद्योगिकी नीति का अनुपालन एवं अनुश्रवण करने हेतु एक सशक्त समिति (Empowered Committee) के गठन की व्यवस्था है, जिसके अनुपालन में निम्न प्रकार से सशक्त समिति का गठन किया जाता है: %

1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	सदस्य

4- उक्त सशक्त समिति का अधिकार-पत्र (Charter) निम्नवत् होगा:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- अनुश्रवण एवं सुनिश्चित करना कि सम्बन्धित आदेशों/अधिसूचनाओं तथा संशोधनों को ससमय जारी कर दिया जाये।
 - केस-टू-केस आधार पर विशेष प्रोत्साहनों हेतु संस्तुति प्रदान करना।
 - उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा के शिथिलता सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचारोपरान्त संस्तुति प्रदान करना।
 - आईटी सिटी/ आईटी पार्क्स/ मेगा निवेश/इन्व्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों/उत्कृष्टता केन्द्रों के विकास, अन्तर्विभागीय समन्वय की स्थापना, फण्ड आफ फण्ड्स की स्थापना तथा निवेशकों, स्टार्ट-अप्स इत्यादि की शिकायतों पर विचार कर संस्तुति/ निर्णय देना।
 - विभागों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं (Projects), उनके प्रारूप (framework)/ कार्यान्वयन-विधि (modalities of implementation) तथा सेंट्रल पूल (central pool) से धनराशि उपलब्धता की स्वीकृति।
 - इस नीति से सम्बन्धित मामलों में अन्तर्विभागीय सामन्जस्य (Inter Departmental coordination) स्थापित करना।
 - प्रमुख संकेतकों (Key Indicators) पर आंकड़ों के आधार पर सू0प्रौ0 एवं स्टार्ट-अप नीति के क्रियान्वयन का प्रभावी मूल्यांकन (evaluation) तथा सभी स्तरों पर क्रियान्वयन (implementation) से सम्बन्धित बिन्दुओं का समाधान (resolve)।
- 5- यूपीएलसी द्वारा उपरोक्तानुसार सशक्त समिति की बैठक आयोजित कराने की व्यवस्था की जायेगी तथा बैठक के पूर्व वांछित सूचनाओं को तैयार कराकर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं बैठक का कार्यवृत्त तैयार कराकर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
- 6- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप सँख्या568/78-1-2012-129/2012 दिनांक 10 मई 2016 को एतद्वारा अवक्रमित किया जाता है।

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-6/2018/121(1)/78-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 4- सशक्त समिति के समस्त सदस्यगण।
- 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(ए/एम), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0, शासन।
- 6- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्क/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इण्डिया लि0।
- 8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राज बहादुर
उप सचिव।